

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज

अदालत

जिला कलेक्टर

मुकाम

धौलपुर

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि0 शाखा जयपुर

बनाम

ज्ञानसिंह ठेकेदार

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

गु0 नम्बर 08 सन 2026


GCMS No. 2026/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुकम की तामील जारी हुय
13.03.2026	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री मानसिंह मीणा प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि0 शाखा जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. ज्ञानसिंह ठेकेदार निवासी - कांसोटीखेडा बाडी जिला धौलपुर 2. ऋणी ज्ञानसिंह निवासी- रास्ता धौलपुर कांसोटीखेडा बाडी जिला धौलपुर 328021 अन्य पता- खसरा नम्बर 245 पट्टा नम्बर 72 ग्राम पंचायत सहेडी पंचायत समिति बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 30.12.2022 को जरिये ऋण अनुबंध संख्या L9001060131603403 रुपये 3,40,000/- का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आरिस्त से रक्षित है:- आवासीय खसरा नम्बर 245 पट्टा नम्बर 72 ग्राम पंचायत सहेडी पंचायत समिति बाडी, बाडी के पास तहसील बाडी जिला धौलपुर क्षेत्रफल 73.33 वर्गगज पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में मुन्नी का मकान, उत्तर दिशा में श्यामू की पाटौर, दक्षिण दिशा में आम गली। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 10.04.2025 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 17.04.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 170199/- दिनांक 15.04.2015 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।</p> <p>हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा</p>	

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति आवासीय खसरा नम्बर 245 पट्टा नम्बर 72 ग्राम पंचायत सहेडी पंचायत समिति बाडी, बाडी के पास तहसील बाडी जिला धौलपुर क्षेत्रफल 73.33 वर्गगज पूर्व दिश में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में मुन्नी का मकान, उत्तर दिशा में श्यामू की पाटौर, दक्षिण दिशा में आम गली। जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमिल दाखिल दफ़तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 30/3/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(श्रीनिधि बी टी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.